रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,

अर्द्धशा0पत्र संख्या– 1906/60–3–2015
उत्तर प्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3
लखनऊ दिनांक 22 दिसम्बर, 2015

प्रिय महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि वर्ष 2015–16 की मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा चिन्हित प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों में से एक उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष की स्थापना महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत की गयी है। कोष के अंतर्गत एसिड अटैक एवं लैंगिक हिंसा से पीड़ित महिलाओं के मेडिकों–लीगल परीक्षण हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा मानक प्रक्रियाओं एवं परीक्षण से संबंधित जानकारी को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी प्रपत्र पर एकत्र करने के लिये दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग उ0प्र0 द्वारा मेडिकों लीगल परीक्षण के सन्दर्भ में मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिका में भी नये प्रपत्रों पर मेडिको लीगल परीक्षण परिपोर्ट तैयार करने के सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गई है। उल्लेखनीय है कि मा0 उच्च न्यायालय ने भी नवीन प्रपत्रों पर ही मेडिको लीगल परीक्षण रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश जारी किये हैं। उपरोक्त के दृष्टिगत इस सम्बन्ध में प्रथम दो चरणों में (माह मई 2015 एवं माह जुलाई 2015) 285 चिकित्साधिकारियों एवं तृतीय चरण में अब तक गोरखपुर, कानपुर, झाँसी, मेरठ, एवं सहारनपुर मण्डल के 310 चिकित्साधिकारियों को उपरोक्त विषय पर प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

2– महिला सम्मान कोष के संचालन की विभिन्न स्तरों पर की गई समीक्षा से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि नवीन मेडिको लीगल प्रपत्र पर एकत्रित सूचना से उपरोक्त उल्लिखित अपराधों में अपराधी को दण्डित किये जाने हेतु प्रभावी साक्ष्यों की उपलब्धता ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है, जिससे कि महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में अपराधी को दण्डित किये जाने की दर में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। अतः चिकित्साधिकारियों की परीक्षण के संदर्भ में सुगमता तथा महिला सशक्तिरकण की भावना के अनुरूप पीडित महिलाओं को सहायता एवं अपेक्षित न्याय दिलाने हेतु मण्डलावार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। इस क्रम में लखनऊ जनपद के राजकीय चिकित्सालयों एवं राजकीय मेडिकल कालेजों के चिकित्साधिकारियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 4 एवं 5 जनवरी, 2016 को प्रस्तावित है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने स्तर से उपरोक्त कार्यक्रम में जनपद के चिकित्साधिकारियों की

......2

प्रतिभागिता सुनिश्चित करने हेतु जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य चिकित्साधिक्षक, महिला चिकित्सालय एवं राजकीय मेडिकल कालेजों के प्रमुखों को निर्देशित करने का कष्ट करें। प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा शीघ्र ही मण्डल (लखनऊ) के उपमुख्य परिविक्षाधिकारी द्वारा आपके सम्मुख सूचनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

सद्भाव सहित।

भवदीया,

22/12/15

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव।

श्री राजशेखर,
जिलाधिकारी,
लखनऊ।